

पत्रांक : 5प/राज्य स्कीम-02-05/2024/107/3110 पं०रा०

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

नजर हुसैन,
अपर सचिव

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी)।

पटना, दिनांक 30/3/26

विषय : वित्तीय वर्ष 2025-26 में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 88(स्वी०) दिनांक 23.03.2026 के आलोक में कुल ₹4,00,000.00 (चार लाख रुपये) मात्र की अनुग्रह अनुदान की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना के आदेश संख्या 207-सह-पठित ज्ञापांक 4390 दिनांक 24.03.2025 के आलोक में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 88(स्वी०) दिनांक 23.03.2026 द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में स्व० दीपक कुमार, मृत लेखापाल-सह-आई०टी० सहायक, प्रखंड-तेतरिया, जिला-पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी) को मृत्यु के फलस्वरूप उनके आश्रित को कुल ₹4,00,000.00 (चार लाख रुपये) मात्र की अनुग्रह अनुदान की राशि की स्वीकृति प्रदान की गई है।

2. उक्त विभागीय स्वीकृत्यादेश के आलोक में वित्तीय वर्ष 2025-26 में जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी) को ₹4,00,000.00 (चार लाख रुपये) मात्र की अनुग्रह अनुदान की राशि आवंटित की जाती है।

3. इस आवंटित राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य स्कीम अंतर्गत "मुख्य शीर्ष-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-उपमुख्य शीर्ष-00-लघुशीर्ष-001-निदेशन एवं प्रशासन-उपशीर्ष-0101-मुख्यालय पंचायत की स्थापना" मद के विषय शीर्ष '0101.37.01-अनुग्रह अनुदान' से किया जायेगा। इसकी मांग संख्या-16 एवं विपत्र कोड संख्या 16-2515000010101 है।

4. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम-4-05/98-2561 वि(2) दि० 17 अप्रैल 1998 एवं पत्रांक 227 दिनांक 28.03.2025 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

5. इस आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी) होंगे, जो राशि की निकासी जिला कोषागार, पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी) से बिहार कोषागार संहिता, 2011 के सुसंगत नियमों के आलोक में करेंगे। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी राशि की निकासी करते हुए मृतक के आश्रित के बैंक खाते में CFMS के माध्यम से अंतरित करेंगे।

Aditi
3/3/26

6. इस आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही की जाये। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
7. इस आवंटन को व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाए। राशि का व्यय सक्षम पदाधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर नियमों के आलोक में की जाये, ताकि कोई व्यय अथवा राशि की निकासी अनियमित नहीं हो।
8. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि का स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।
9. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।
10. इस आवंटनादेश के सभी पृष्ठ अपर सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना द्वारा हस्ताक्षरित हैं।
11. इस आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में विभागीय सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन संचिका संख्या 5प/राज्य स्कीम-02-05/2024 के पृष्ठ संख्या11...../टि० पर दिनांक ...26/03/2026..... को प्राप्त है।
12. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन

(नजर हुसैन)

अपर सचिव

ज्ञापांक : 5प/राज्य स्कीम-02-05/2024 / 107(अ०) / पं०रा० पटना, दिनांक 30/3/26
 प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/जिला कोषागार, पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी)/जिला पंचायत राज पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी)/प्रभारी पदाधिकारी-06, 07(उपयोगिता प्रमाण पत्र कोषांग) पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(नजर हुसैन)

अपर सचिव

ज्ञापांक : 5प/राज्य स्कीम-02-05/2024 / 107(अ०) / पं०रा० पटना, दिनांक 30/3/26
 प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(नजर हुसैन)

अपर सचिव

Addi